उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिरोध अधिनियम, 1952

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 38, 1952}

THE UTAR PRADESH HABITUAL OFFENDERS' RESTRICTION ACT, 1952

[U. P. ACT No. XXXVIII OF 1952]

उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिरोध अधिनियम, 1952[1]

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 38, 1952}

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42, 1958 द्वारा संशोधित

{उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 25 सितम्बर, 1952 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 16 अक्टूबर, 1952 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया ।

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 10 दिसम्बर, 1952 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 15 दिसम्बर, 1952 ई0 को प्रकाशित हुआ।}

उत्तर प्रदेश में अभ्यस्त अपराधियों पर कुछ प्रतिरोध लगाने की व्यवस्था के लिये

अधिनियम

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में अभ्यस्त अपराधियों पर कुछ प्रतिरोध लगाये जाये

1—— (1) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिरोध अधिनियम, 1952 होगा । संक्षिप्त शीर्षनाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रचलित होगा।

(3) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

2—— (1) विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में :— परिभाषाएं

(क) ''कोड'' का तात्पर्य कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 से है; 1898 का ऐक्ट संख्या 5

(ख) ''जिला मजिस्ट्रेट'' के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) अथवा राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से इस अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के कार्यों का सम्पादन करने के लिये अधिकृत किया गया प्रथम श्रेणी का कोई अन्य मजिस्ट्रेट भी है ;

(ग) ''अभ्यस्त अपराधी'' (habitual offender) का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे इस अधिनियम के प्रचलित होने से पूर्व या पश्चात् अनुसूची में उल्लिखित (set forth) किसी एक या अन्य अपराध के लिये कम से कम तीन पृथक–पृथक अवसरों पर मौलिक अवधि के कारावास (substantive term of imprisonment) का दण्ड दिया गया हो, और ऐसा कारावास का दण्ड अपील अथवा पुनरीक्षण में निरस्त (set aside) न कर दिया गया हो;

(घ) ''प्रतिरोध आज्ञा'' (order of restriction) का तात्पर्य धारा 3 में उल्लिखित प्रकार की आज्ञा से है;

(ङ) ''नियत'' (prescribed) का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

(च) ''बस्ती'' (Settlement) का तात्पर्य धारा 11 के अधीन स्थापित अथवा प्रमाणित (established of certified) बस्ती से है ;

(छ) ''राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ;

---

1. उद्‌देश्यों और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 19 अगस्त, 1952 का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।

(ज) इस अधिनियम में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों के, जिनकी परिभाषा इस अधिनियम में नहीं दी गई है, वही अर्थ होंगे जो कि कोड में उनके किये गये हैं।

(2) यदि कोई व्यक्ति साधारणतः किसी स्थान पर रहता हो या वहां पर रहने के लिये अपने अधिकार में कोई मकान रखता हो तो वह साधारणतः उस स्थान का निवासी समझा जायेगा।

प्रतिरोध आज्ञा

3–– (1) प्रतिरोध आज्ञा लिखित रूप में होगी और उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्य करने के लिये कहा जा सकता है, अर्थात्––

(क) किसी जिले में किसी निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर ही अपनी गतिविधि को सीमित रखना ;

(ख) ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से, जो नियत की जाये, अपने निवास स्थान और उसमें किये गये तथा किये जाने वाले प्रत्येक परिवर्तन की या वहां से प्रत्येक अनुपस्थिति या अभिप्रेत (intended) अनुपस्थिति की सूचना देना ;

(ग) ऐसे समय तथा स्थान पर और ऐसी रीति से, जो निर्दिष्ट की जाये, अपने आपको उपस्थित (to report himself) करना ।

(2) आज्ञा में अन्य विवरण भी होगें, जो नियत किये जायें।

(3) कोई भी प्रतिरोध आज्ञा उसके जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष के पश्चात् सप्रभाव न रहेगी ।

प्रतिरोध आज्ञा प्राप्त करने की सूचना

4–– (1) यदि सूचना मिलने पर जिला मजिस्ट्रेट को संतोष हो जाये कि कोई व्यक्ति, जो उस जिले में साधारणतः रहता हो, अभ्यस्त अपराधी है और उसके विरूद्ध प्रतिरोध आज्ञा दी जानी चाहिये, तो वह नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति को ऐसे समय और ऐसे स्थान पर, जो कि नोटिस में निर्दिष्ट किया गया जाये, उपस्थित होकर आज्ञा प्राप्त करने का आदेश दे सकता हैः

किन्तु प्रतिबंध यह है कि इस अधिनियम में इससे पूर्व लिखी हुई किसी भी बात से जिला मजिस्ट्रेट के लिये यह अपेक्षित नहीं होगा कि वह लगाये जाने वाले प्रतिरोधों को नोटिस मे निर्दिष्ट कर दें ।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत, जिस व्यक्ति के विरूद्ध नोटिस जारी किया गया हो वह निम्नलिखित में से किसी आधार पर नोटिस का प्रतिवाद (contest) कर सकता है, अर्थात्––

(क) कि वह नोटिस के दिनांक पर 18 वर्ष से कम उम्र का था ;

(ख) कि उसे दिये गये कारावास के अन्तिम दण्ड की अवधि की समाप्ति के दिनांक और नोटिस के दिनांक के बीच तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है;

(ग) कि वह अभ्यस्त अपराधी (habitual offender) नहीं है ।

(3) कोई अन्य सूचना मिलने पर जिला मजिस्ट्रेट उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये नोटिस को किसी भी समय निरस्त कर सकता है, किन्तु इस उपधारा में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह उस व्यक्ति को जिसके नाम नोटिस जारी किया गया हो, यह अधिकार देती है कि वह उपधारा (2) में उल्लिखित आधारों से भिन्न किसी आधार पर नोटिस का प्रतिवाद कर सकता है।

उपस्थिति के लिये बाध्य करने की प्रक्रिया

5–– उस स्थिति में जब किसी ऐसे व्यक्ति का, जिसके विरूद्ध धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी किया जा चुका हो, पता न चल रहा हो अथवा वह नोटिस न लेता हो अथवा नोटिस उचित रीति से तामील हो जाने के पश्चात् वह सम्बद्ध जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित न होता हो, तो जिला मजिस्ट्रेट कोड के अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा मानो उक्त नोटिस उक्त कोड के अधीन जारी किया गया वारंट था ।

सूचना (नोटिस) की सुनवाई और आज्ञा की तामील

6–– (1) यदि सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्तियों पर, यदि कोई, हो और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जिसे वह उचित समझे जिला मजिस्ट्रेट को यह ज्ञात हो कि वह नोटिस के दिनांक पर अठारह वर्ष से कम उम्र का हो अथवा जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, तीन वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो चुकी है अथवा वह अभ्यस्त अपराधी (habitual offender) नहीं हो तो वह उक्त नोटिस को उत्सर्जित (discharge) कर देगा और यदि ऐसा व्यक्ति धारा 5 के अधीन की गई किसी भी कार्यवाही के अनुसार अभिरक्षा (custody) में हो तो उसे तुरन्त मुक्त कर देने का निर्देश करेगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन नोटिस निरस्त न किया जाय तो जिला मजिस्ट्रेट उसके विरूद्ध प्रतिरोध आज्ञा दे देगा।

प्रतिरोध आज्ञा देते समय विचारणीय तथ्य

7–– प्रतिरोध आज्ञा देते समय जिला मजिस्ट्रेट निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा –

(1) उन अपराधों का प्रकार, जिनके लिये अभ्यस्त अपराधी अभिशस्त (convict) हुआ था और वे परिस्थितियां, जिनमें वे अपराध किये गये हों;

(2) अभ्यस्त अपराधी का वर्तमान काम या पेशा;

(3) उस क्षेत्र की उपयुक्तता, जिसमें उसकी गतिविधि सीमित की जाने वाली हो; और

(4) ऐसी रीति, परिस्थितियां तथा शर्तें, जिनके अनुसार राज्य सरकार, ऐसे अभ्यस्त अपराधी के, जिसके विरूद्ध धारा 6 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रतिरोध आज्ञा जारी की गई हो, रोजगार की व्यवस्था करेगी।

प्रतिरोध आज्ञा का संषोधन

8–– (1) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई प्रतिरोध आज्ञा में समय–समय पर परिवर्तन या संशोधन कर सकता है और अभ्यस्त अपराधी का प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर, किसी अन्य जिले के जिला मजिस्ट्रेट की सहमति से उसको ऐसे अन्य जिले में अपना निवास स्थान परिवर्तित कर लेने की अनुज्ञा दे सकता है ।

(2) उस स्थिति में जब किसी अभ्यस्त अपराधी को उपधारा (1) के अधीन किसी अन्य जिले में अपना निवास स्थान परिवर्तित करने की अनुज्ञा दी गई हो तो ऐसे अन्य जिले का जिला मजिस्ट्रेट प्रतिरोध की आज्ञा को परिवर्तित या संशोधित, जैसा भी वह आवश्यक समझे, कर सकता है, किन्तु ऐसे समस्त परिवर्तन या संशोधन निवास स्थान में परिवर्तन किये जाने के समय से ही सप्रभाव होंगे न कि उससे पूर्व।

अभ्यस्त अपराधी का प्रवजन (migration)

9–– यदि कोई अभ्यस्त अपराधी, जिसके विरूद्ध धारा 6 के अधीन प्रतिरोध आज्ञा दी गयी हो, धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन दी गयी किसी आज्ञा के अनुसार अपना निवास स्थान किसी अन्य जिले में परिवर्तित करें, तो ऐसे अभ्यस्त अपराधी के संबंध में अन्य जिले के जिला मजिस्ट्रेट को वही अधिकार प्राप्त होगें, जो उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को थे, जिसने आरम्भिक आज्ञा दी थी।

पुनर्विलोकन (review)

10–– जिला मजिस्ट्रेट नियत रीति से और नियत विरामों (intervals) पर ऐसे सभी अभ्यस्त अपराधियों के मामलों का दो असेसरों की सहायता से पुनर्विलोकन (review) कर सकता है, जिन पर धारा 6 के अधीन प्रतिरोध आज्ञा तामील की गयी हो, इस बात के निश्चय करने के लिये कि उन पर लगाये गये प्रतिरोधों को हटाया जाना वांछनीय है या नहीं :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि पहला पुनर्विलोकन प्रतिरोध आज्ञा के दिनांक से तीन मास के भीतर ही होगा।

11–– (1) राज्य सरकार अभ्यस्त अपराधियों (habitual offenders) को सुधारने के लिये औद्योगिक, कृषिक या अन्य बस्तियां (industrial,agricultural or other settlements) स्थापित कर सकती है और उन्हें बनाये रख सकती है । — सुधारक बस्तियों(reformatory settlement) आदि की स्थापना

(2) राज्य सरकार, किसी भी ऐसी बस्ती को, जिसका प्रबंध निजी व्यक्तियों के हाथ में हो, अभ्यस्त अपराधियों की भर्ती के लिये उपयुक्त प्रमाणित कर सकती है।

12–– (1) यदि ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व, जिसके लिये धारा 6 के अधीन प्रतिरोध आज्ञा दी गयी हो, किसी भी समय जिला मजिस्ट्रेट का यह मत हो कि उक्त अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक है, तो वह सम्बद्ध व्यक्ति को इसके विरूद्ध कारण बताने का अवसर देने के बाद, उसे समय–समय पर इतना बढ़ा सकता है कि कुल अवधि का योग तीन वर्ष से अधिक न हो। — प्रतिरोध आज्ञा आदि या बस्ती में ठहरने की अवधि का बढ़ाया जाना

(2) उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही दो असेसरों की सहायता से होगी ।

13–– (1) जिला मजिस्ट्रेट धारा 10 के अधीन प्रतिरोध को हटाने या उसमें अन्य प्रकार संशोधन करने या उसे जारी रखने की अथवा धारा 12 के अधीन अवधि बढ़ाने की आज्ञा देने से पूर्व प्रत्येक असेसर से अपनी राय मौखिक रूप में प्रकट करने के लिये कहेगा और इस प्रयोजन से ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, जो उसकी राय मालूम करने के लिये आवश्यक हो। ऐसे सब प्रश्न और उनके उत्तर अभिलिखित किये जायेगें । — असेसरों की राय

(2) इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट अपनी आज्ञा देगा किन्तु ऐसा करने में वह असेसरों की राय मानने के लिये बाध्य नहीं होगा ।

14–– असेसर ऐसी योग्यता के होगें और ऐसी रीति से चुने और नियुक्त किये जायेगें, जो नियत की जाय। — असेसरों की योग्यता और नियुक्ति

15–– (1) यदि कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध प्रतिरोध आज्ञा जारी की गयी हो और ऐसी आज्ञा सप्रभाव हो, ऐसी आज्ञा या नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो धारा 16 के अधीन उनके विरूद्ध की जाने वाली अन्य कार्यवाही के अतिरिक्त उसे बस्ती से बारह मास के लिये या ऐसे अधिक समय के लिये जो तीन वर्ष से अधिक न हो और जिसे मजिस्ट्रेट निश्चित करें, आसेध (confinement) का दण्ड दिया जा सकता है । — प्रतिरोधाज्ञा या नियमों के भंग किये जाने पर दण्ड

(2) कोड में किसी भी बात के होते हुये, कोई भी प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट उपधारा (1) के अधीन बस्ती में तीन वर्ष तक के आसेध का दण्ड दे सकता है।

{16–– यदि कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध प्रतिरोध आज्ञा या धारा 15 के अधीन किसी बस्ती में आसेध की आज्ञा दी गयी हो–– — उन अभ्यस्त अपराधियों का गिरफ्तार किया जाना जो नियत सीमाओं या बस्तियों के बाहर पाये जाये

(क) बिना आज्ञा या प्रवेश–पत्र (पास) के, जिसे नियत किया गया हो, ऐसी बस्ती या ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के, जिसके भीतर उसकी गतिविधि सीमित की गयी हो, बाहर या ऐसे स्थान में या ऐसे समय पर जिसके लिये उसके प्रवेश–पत्र (पास) की शर्तों के अनुसार अनुमति न हो, पाया जाये, या

(ख) किसी बस्ती से निकल भागे या छोड़ दे तो बिना किसी वारंट के किसी पुलिस अधिकारी या बस्ती के किसी ऐसे कर्मचारी द्वारा, जो राज्य सरकार की किसी सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा इस बात के लिये अधिकृत किया गया हो, गिरफ्तार किया जा सकता है, और किसी प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थित किया जा सकता है, जो इस अधिनियम के अनुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही करने के उद्देश्य से उसे ऐसे क्षेत्र या बस्ती में जैसी भी स्थिति हो, हटाये जाने की आज्ञा देगा।}[1]

अभ्यस्त अपराधी का स्थानान्तरण

17–– राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से जिला मजिस्ट्रेट किसी अभ्यस्त अपराधी को एक बस्ती से हटाकर दूसरी बस्ती में भेज सकता है ।

प्रक्रिया

18–– कोड के अध्याय 20 के उपबंध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम की धारा 4, 6 और 12 के अधीन व्यवहारों (proceedings) पर उसी प्रकार लागू होंगे, जैसा कि वे किसी सम्मन के व्यवहारों (summons case) की स्थिति में लागू होते हैं।

न्यायालयों के अधिकार क्षेत्रों का बाधित किया जाना

19–– निम्नलिखित के अधीन किसी कार्यवाही में दी गयी आज्ञा के विरूद्ध कोई अपील नहीं हो सकेगी :––

(क) धारा 6, या

(ख) धारा 8 की उपधारा (1) या (2), या

(ग) धारा 9, 10 और 12, या

(घ) अभ्यस्त अपराधी को उस क्षेत्र में, जिसके भीतर उसकी गतिविधि सीमित की गयी हो या उस बस्ती में, जहां उसे रखे जाने की आज्ञा दी गयी हो, पहुँचाने के संबंध में धारा 16 के अधीन ;

और ऐसी आज्ञा अन्तिम होगी और उसके संबंध में किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

नियम

20–– (1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) विशेषकर और पूर्व गत अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुए ऐसे नियमों में निम्नांकित के लिये व्यवस्था की जा सकती है ––

(एक) धारा 4 के अधीन नोटिस का आकार (फार्म) ;

(दो) ऐसे क्षेत्र, जिसमें किसी अभ्यस्त अपराधी की गतिविधि सीमित की जाये और उन प्रतिरोधों का प्रकार जिनका पालन करना ऐसे व्यक्तियों के लिये आवश्यक होगा;

(तीन) छुट्टी की शर्तें और प्रवेश–पत्रों का रूप, और शर्तें जिनके अधीन अभ्यस्त अपराधियों को ऐसे क्षेत्र, जिनके भीतर उनकी गतिविधि सीमित कर दी गई हो या ऐसी बस्ती, जिसमें वे रखे गये हों, छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है ;

(चार) ऐसे अभ्यस्त अपराधियों को जिनके विरूद्ध प्रतिरोध आज्ञा दी गयी हों, शिनाख्त का प्रमाण–पत्र देना, और परिस्थितियां जिनमें उन्हें इस प्रकार के प्रमाण–पत्रों की जांच के लिये प्रस्तुत करना पड़ेगा ;

(पांच) बस्तियों का कार्य संचालन, प्रबंध, नियंत्रण करना तथा उनकी देख–रेख ;

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 42, 1958 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(छः) ऐसी बस्तियों के प्रमाणित करने की रीति और शर्तें, जिनका प्रबन्ध निजी रूप से किया जाता हो ;

(सात) अभ्यस्त अपराधियों को बस्ती में भर्ती करना, वहां से उन्हे मुक्त करना तथा इस संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रकिया ;

(आठ) शर्तें और परिस्थतियां, जिनके अधीन अभ्यस्त अपराधी के कुटुम्ब के सदस्यों को बस्ती में उनके साथ ठहरने की अनुज्ञा दी जाये ;

(नौ) अनुशासन संबंधी कार्यवाही, जो किसी बस्ती से निकल भागने का प्रयत्न करने वाले अथवा किसी अन्य प्रकार से समय विशेष पर प्रचलित नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर लागू होंगी ;

(दस) असेसरों को बुलाना और उनको यांत्रिक तथा दैनिक भत्ता देना ;

(ग्यारह) प्रतिरोध आज्ञाओं का अभिलेख रखने के लिये रजिस्टर ;

(बारह) अंगुली छाप लेने की रीति ; और

(तेरह) ऐसे विषय, जो नियत किये जायं या नियत किये जाने वाले हों।

अपवाद

21—— समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि के अधीन प्रतिरोध (restriction) या अवरोध (detention) की आज्ञा देने के संबंध में किसी समर्थ प्राधिकारी के अधिकारों पर इस अधिनियम के अधीन दी हुई किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस अधिनियम के अधीन दी गयी प्रतिरोध आज्ञा या बस्ती में रखने की कोई आज्ञा, जहां तक कि वह ऐसी अन्य विधि के अधीन समर्थ प्राधिकारी द्वारा दी गयी किसी आज्ञा से असंगत हो तब तक, अप्रवृत्त (inoperative) समझी जायेगी जब तक कि ऐसी दूसरी विधि के अधीन दी गयी आज्ञा सप्रभाव रहें ।

अनुसूची

{धारा 2 की उपधारा (1) का खण्ड (ग) देखिये}

धारायें	इंडियन पीनल कोड के अन्तर्गत अपराध
231	जाली सिक्के बनाना (counterfeiting coins) ।
232	जाली भारतीय सिक्के बनाना (counterfeiting Indian coins) ।
233	जाली सिक्के बनाने के लिये उपकरण का निर्माण, कय या विकय ।
234	जाली भारतीय सिक्के बनाने के लिये उपकरण का निर्माण, कय या विकय।
235	जाली सिक्के बनाने के काम में लाने के लिये उपकरण या सामग्री को अपने कब्जे में रखना ।
239	ऐसे सिक्के का अर्पण (delivery), जो इस जानकारी के साथ कब्जे में हो कि वह जाली है ।
240	ऐसे भारतीय सिक्के का अर्पण, जो इस जानकारी के साथ कब्जे में हो कि वह जाली है ।
242	किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी जाली सिक्के का कब्जे में रखा जाना, जिसे सिक्का प्राप्त होने पर यह मालूम हो गया हो कि वह जाली है।

243	किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्का अपने कब्जे में रखा जाना, जिसे सिक्का प्राप्त होने पर यह मालूम हो गया हो कि वह जाली है ।
302	हत्या (murder) ।
304	दण्डनीय नर हत्या (culpable homicide) जो नर हत्या न समझी जाये ।
307	हत्या करने का प्रयत्न (attempt to murder) ।
308	दण्डनीय नर हत्या (culpable homicide) करने के लिये प्रयत्न ।
311	ठग होना (being a thug) ।
326	भयावह अस्त्रों या साधनों (dangerous weapons or means) द्वारा स्वेच्छा से दुस्सह आघात (greivous hurt) पहुँचाना ।
327	सम्पत्ति के निकर्षण (extortion) के लिये या अवैध कार्य के लिये विवश करने के प्रयोजन से स्वेच्छा से आघात पहुँचाना ।
328	कोई अपराध करने के अभिप्राय से विश इत्यादि द्वारा आघात पहुँचाना ।
329	सम्पत्ति के निकर्षण (extortion) के लिये या अवैध कार्य के लिये विवश करने के प्रयोजन से स्वेच्छा से दुस्सह (grievous hurt) आघात पहुँचाना ।
333	राज्य कर्मचारी को डरा धमका कार अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकने के लिये स्वेच्छा से दुस्सह (grievous hurt) आघात पहुँचाना ।
363	अपहरण (kidnapping) ।
364	जान से मारने के लिये अपहरण करना या बहकाना ।
365	रहस्यपूर्ण तथा अनुचित ढंग से किसी व्यक्ति को बंद करने के विचार से अपहरण करना या बहकाना ।
369	दस वर्ष से कम वयस वाले शिशु (child) के शरीर से कोई वस्तु चुराने के अभिप्राय से उसका अपहरण (kidnapping) ।
376	बलात्कार (rape) ।
377	अप्राकृतिक अपराध (unnatural offence) ।
380	निवास स्थान में चोरी ।
382	चोरी के प्रयोजन से मृत्यु करने, आघात पहुँचाने या निरोध (restraint) में रखने के लिये तैयारी करने के पश्चात चोरी ।
384	निकर्षण (extortion) ।
385	निकर्षण के प्रयोजन से व्यक्ति विशेष को चोट (injury) का भय दिखाना ।
386	निकर्षण (extortion) के प्रयोजन से व्यक्ति विशेष की मृत्यु या दुस्सह आघात (grievous hurt) का भय दिखाकर निकर्षण (extortion) ।
392	लूटमार (robbery) ।
393	लूटमार (robbery) करने का प्रयत्न करना ।
394	लूटमार (robbery) में स्वेच्छा से आघात पहुँचाना ।
395	डकैती (Dacoity) ।
396	हत्या के साथ डकैती ।

397	लूटमार या डकैती जिसमें मृत्यु या दुस्सह आघात करने का प्रयत्न किया जाये।
398	घातक अस्त्र से सशस्त्र होकर लूटमार करने या डकैती का प्रयत्न ।
399	डकैती की तैयारी करना (preparation for committing dacoity) ।
400	डाकुओं के गिरोह में होना ।
402	डकैती के प्रयोजन से एकत्रित होना ।
411	चुराई हुई सम्पत्ति को बेईमानी से ग्रहण करना ।
412	डकैती में चुराई हुई सम्पत्ति को बेईमानी से ग्रहण करना ।
436	गृह आदि को नष्ट करने के अभिप्राय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा अपकृत्य (mischief) ।
457	किसी ऐसे अपराध को करने के प्रयोजन से जिसके लिये कारावास का दण्ड दिया जा सकता हो, रात्रि में चौर्य गृहातिक्रमण (lurking house trespass) या सेंध लगाना (house breaking) ।
458	चोट पहुंचाने, प्रहार करने या अनधिकार रोक लगाने (wrongful restraint) के लिये तैयारी करने के पश्चात रात्रि में चौर्य गृहातिक्रमण (lurking house trespass) या सेंध लगाना (house breaking) ।
459	चौर्य गृहातिक्रमण (lurking house trespass) या सेंध लगाते (breaking) समय किया गया दुस्सह आघात ।
460	रात्रि में चौर्य गृहातिक्रमण (lurking house trespass) या सेंध लगाने (breaking) के कार्य में संयुक्त रूप से सम्बद्ध सभी व्यक्ति दण्डनीय हों, यदि उनमें से किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी की मृत्यु हो गयी हो या दुस्सह चोट पहुँचायी गयी हो ।
489—क	जाली करेंन्सी नोट या बैंक नोट बनाना ।

THE UTAR PRADESH HABITUAL OFFENDER'S RESTRICTION ACT, 1952[1]

[U. P. ACT No. XXXVIII OF 1952]

Amended by U. P. Act no. XLII of 1958

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on September 25, 1952 and by the Uttar Pradesh Legislative council on October 16, 1952.

Received the assent of the president on December 10, 1952, under Article 201 of 'the Constitution of India' and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated December 15, 1952]

AN
ACT

to make provision for imposing certain restrictions on habitual offenders in Uttar Pradesh

Whereas it is expedient to impose certain restrictions on habitual offenders in Uttar Pradesh;

It is hereby enacted as follows:

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Habitual Offenders' Restriction Act, 1952.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force at once.

Definitions

2. (1) In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context **--**

(a) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1898 ;

(b) "District Magistrate" includes the Additional District Magistrate or any Magistrate of the First Class specially empowered by the State Government to perform the functions of the District Magistrate under this Act;

(c) "habitual offender" means a person who before or after the commencement of this Act, has been sentenced to a substantive term of imprisonment, such sentence not having been set aside in appeal or revision, on not less than three different occasions for one or another of the offences set forth in the Schedule ;

(d) "order of restriction" means an order of the nature mentioned in section 3 ;

(e) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act ;

(f) "settlement" means a settlement, established or certified under section 11 ;

(g) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh;

---

1. For S.O.R., see Gazette, extra, date Aug. 19, 1952.

(h) words and expressions used but not defined in this Act shall have the meaning assigned to them in the Code.

(2) A person shall be deemed to be ordinarily residing at a place if he ordinarily lives there or maintains a house therein ready for occupation by him.

Order of restriction

3. (1) An order of restriction shall be in writing and may require a person to do one or more of the following things, that is to say-

(a) to restrict his movement to any specified area, within a district ;

(b) to intimate to such authority and in such manner, as may be prescribed, his place of residence, every change or intended change thereof or any absence or intended absence therefrom ; or

(c) to report himself at the time and at the place and in the manner specified.

(2) The order shall contain such other particulars as may be prescribed.

(3) No order of restriction shall remain in force beyond three years from the date of its making.

Notice to receive the order of restriction

4. (1) If the District Magistrate is, upon information received, satisfied that a person ordinarily residing in the district is an habitual offender and that an order of restriction should be passed against him, he may by notice require such person to appear at such time and place as may be specified in the notice to receive the order :

Provided that nothing hereinbefore contained shall be deemed to require the District Magistrate to specify in the notice the restriction sought to be imposed.

(2) The person against whom notice has been issued under sub-section (1) may contest it on any of the following grounds and no other, namely that- -----

(a) he was less than 18 years of age on the date of notice ;

(b) a period of more than three years has intervened between the date of notice and the expiry of the term of the last sentence of imprisonment passed against him;

(c) he is not an habitual offender.

(3) It shall be lawful for the District Magistrate upon receipt of any additional information to rescind at any time the notice issued under sub-section (1) but nothing in this sub-section will be construed to entitle the person against whom notice has been issued to contest it on any ground other than that mentioned in sub-section (2).

Procedure to compel attendance

5. Where a person against whom a notice has been issued under sub-section (1) of section 4, is not traceable, or fails to receive the notice or after due service of the notice fails to appear before the District Magistrate concerned, the District Magistrate may proceed in accordance with the provisions of Chapter VI of the Code as if the notice were a warrant issued under the said Code.

Hearing of the notice and service of the order

6. (1) If, after considering the Objections, if any, of the person concerned and holding such other enquiry as he may think fit, the District Magistrate finds that he was less than 18 years of age on the date of notice or that a period of more than three years, as aforesaid, had intervened, or that he is not an habitual offender, he shall discharge the notice, and if such person is in custody in accordance with any proceeding under section 5 direct him to be released forthwith.

(2) If the notice is not discharged under sub-section (1) the District Magistrate shall pass an order of restriction against him.

Factors to be taken into consideration in making order of restriction

7. In making an order of restriction, He District Magistrate shall take into consideration :

(i) the nature of the offences of which the habitual offender was convicted and the circumstances in which they were committed;

(ii) the present employment or occupation of the habitual offender ,

(iii) the suitability of the area to which his movements are to be restricted, and

(iv) the manner, circumstances and the conditions in which the State Government shall make provision for the employment of an habitual offender against whom an order of restriction has been passed under sub-section (2) of section 6.

Amendment of the order of restriction

8. (1) The District Magistrate may, from time to time, vary or amend the order of restriction made by him, and he may also, on the application of the habitual offender, allow him to change his residence to another district with the concurrence of the District Magistrate of such other district.

(2) Where an habitual offender has been allowed to change his residence to another district under sub-section (1), the District Magistrate of such other district may vary or amend the order of restriction as he may deem necessary, but all such variations Or amendments shall take effect from the moment of change of residence and not earlier.

Migration of habitual offender

9. If an habitual offender against whom an order of restriction has been made under section 6, changes his residence to another district in pursuance of an order under sub-section (1) of section 8, the District Magistrate of such other district shall have the same power in regard to the habitual offender as the District Magistrate who originally made the order.

Review

10. The District Magistrate may in the prescribed manner and at prescribed intervals, review with the aid of two assessors, the cases of all habitual offenders upon whom orders of restriction have been served under section 6 for ascertaining the desirability of removing the restrictions imposed upon them :

Provided that the first review shall be held not later than three months from the date of the order of restriction.

Establishment of reformatory settlements, etc.

11. (1) The State Government may establish and maintain industrial, agricultural or other settlements for the purpose of reforming of habitual offenders.

(2) The State Government may also certify any privately managed settlement to be fit for the reception of habitual offenders.

Extension of the period of restriction etc. or stay in settlement

12. (1) If at any time before the expiry of the period, for which an order of restriction has been made under section 6, the District Magistrate is of the opinion that it is necessary to extend it, he may, after giving an opportunity to the person concerned to show cause, extend the same from time to time so however that the total period does not exceed in the aggregate three years.

(2) The proceedings under sub-section (1), shall be with the aid of two assessors.

Opinion of assessors

13. (1) The District Magistrate shall, before making an order removing or otherwise modifying or continuing any restriction under section 10 or extending the period under section 12, require each of the assessors to State his opinion orally and for that purpose may ask the assessors such questions as are necessary to ascertain what their opinions are. all such questions and the answers to them shall be recorded.

(2) The District Magistrate shall then make his order but in doing so, he shall not be bound to conform to the opinion of the assessors.

Qualification and appointment of assessors

14. The assessors shall hold such qualification and be selected and appointed in such manner as may be prescribed.

Penalties for breach of restriction order or rules

15. (1) Whoever, being a person against whom an order of restriction has been passed and such order is in force, contravenes any of the provisions of the order or the rules shall, over and above any action that may be taken against him under section 16, be punishable with confinement in settlement for 12 months or such larger term not exceeding three years as the Magistrate may fix.

(2) Notwithstanding anything contained in the Code, a Magistrate of the first class may pass a sentence of confinement in settlement under sub-section (1), for a term up to three years.

[Arrest of habitual offenders found beyond prescribed limits or settlement

16. Whoever being a person against whom an order of restriction. or an order of confinement in settlement under section 15 has been made- -----

(a) is found, beyond the limits of the settlement or area to which his movements have been restricted, without leave or pass, as may be prescribed, or in a place or at a time not permitted by the conditions of his pass, or

(b) escapes or departs, from a settlement, may be arrested without warrant by any police officer or any official of the settlement empowered in this behalf by a general or special order of the State Government, and may be taken before a Magistrate of the first class, who shall order him to be removed to such area or settlement, as the case may be, to be dealt with in accordance with this Act.][1]

Transfer of habitual offender

17. An habitual offender may with the previous sanction of the State Government be transferred from one settlement to another by the District Magistrate.

Procedure

18. The provisions of Chapter XX of the Code shall apply, as far as may be, to the proceedings under sections 4, 6 and 12 of this Act as they apply to a summons case.

Jurisdiction of courts barred

19. No appeal shall lie from an order passed in any proceeding under- --

(a) section 6; or

(b) sub-section (1) or (2) of section 8; or

(c) sections 9, 10 and 12; or

(d) section 16 for the removal of the habitual offender to the area to which his movements have been restricted or to a settlement in which he has been ordered to be placed, and the same shall be final and shall not be questioned in any court.

Rules

20. (1) The State Government may, by notification in the official Gazette, and subject to the condition of previous publication, make rules for carrying into effect the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for,-

(i) form of the notice under section 4 ;

(ii) the areas to which the movements of any habitual offender may be restricted and the nature of the restrictions to be observed by such person;

(iii) the conditions of leave and the form and conditions of passes under which habitual offenders may be permitted to leave the area to which their movements have been restricted or the settlement in which they have been placed;

(iv) the grant of certificate of identity to habitual offenders, against whom an order of restriction has been made, and the circumstances in which they shall produce such certificates for inspection;

(v) the working, management, control and supervision of settlements ;

---

1. Substituted by section 3 of U.P. Act No. 42 of 1958.

(vi) the conditions and the manner of certifying privately managed settlements ;

(vii] the admission of habitual offenders to the settlement, their discharge there from and the procedure to be followed :

(viii] the conditions and the circumstances under which the members of family of the habitual offenders may be permitted to stay with him in the settlement ;

(ix) the discipline to which persons, endeavouring to escape from any settlement or otherwise offending against the rules for the time being in force, shall be subject,

(x) the summoning of assessors and payment of travelling and daily allowances to them;

(xi) maintenance of the register for keeping a record of the orders of restriction;

(xii) the manner of taking finger impressions ; and

(xiii) the matters which are to be and may be prescribed.

Saving

21. Nothing in this Act shall affect the powers of any competent authority under any other law for the time being in force, to make an order of restriction or detention and any order of restriction or of settlement passed under this Act, in so far as it may be inconsistent with any order made by a competent authority under such other law shall be deemed to be inoperative while the order under the other law remains in force.

SCHEDULE

[SEE CLAUSE (c) OF SUB-SECTION (1) OF SECTION 2]

Sections	**Offences under the Indian Penal Code**
231	Counterfeiting coin.
232	Counterfeiting Indian coin.
233	Making, buying or selling instrument for counterfeiting coin.
234	Making, buying or selling instrument for counterfeiting Indian coin.
235	Possession of instrument or material for the purpose of using the same for counterfeiting coin.
239	Delivery of coin, possessed with the knowledge that it is counterfeit.
240	Delivery of Indian coin possessed with the knowledge that it is counterfeit.
242	Possession of counterfeit coin by person who knew it to be counterfeit when he became possessed thereof.

243	Possession of Indian coin by person who knew it to be counterfeit when he became possessed thereof.
302	Murder.
304	Culpable homicide not amounting to murder.
307	Attempt to murder.
308	Attempt to commit culpable homicide.
311	Being a thug.
326	Voluntarily causing grievous hurt by dangerous weapons or means.
327	Voluntarily causing hurt to extort property or to constrain to an illegal Act.
328	Causing hurt by means of poison, etc. with intent, to commit an offence.
329	Voluntarily causing grievous hurt to extort property or to constrain to an illegal Act.
333	Voluntarily causing grievous hurt to deter public servant from his duty.
363	Punishment for kidnapping,
361	Kidnapping or abducting in order to murder.
365	Kidnapping or abducting with intent secretly and wrongfully to confine a person,
369	Kidnapping or abducting a child under ten years with intent to steal from its person.
376	Rape.
377	Unnatural offences.
380	Theft in dwelling house, etc.
382	Theft after preparation made for causing death, hurt or restrain in order to the committing of the theft.
384	Extortion.
385	Putting person in fear of injury in order to commit extortion.
386	Extortion by putting a person in fear of death or grievous hurt in order to commit extortion.
392	Robbery.
393	Attempt to commit robbery.
394	Voluntarily causing hurt in committing robbery.
395	Dacoity.
396	Docoity with murder.

397	Robbery or dacoity, with attempt to cause death or grievous hurt.
398	Attempt to commit robbery or dacoity when armed with deadly weapons.
399.	Making preparation to commit dacoity
400	Belonging to gang of dacoits.
402	Assembling for purpose of committing dacoity.
411	Dishonestly receiving stolen property.
412	Dishonestly receiving property stolen in the commission of a dacoity.
436	Mischief by fire or explosive substance with intent to destroy house, etc.
457	Lurking house-trespass or house-breaking by night in order to the commission of an offence punishable with imprisonment.
458	Lurking house-trespass or house-breaking by night after preparation for hurt, assault or wrongful restraint.
459	Grievous hurt caused whilst committing lurking house-trespass or house breaking,
460	All persons jointly concerned in lurking house trespass or house-breaking by night punishable where death or grievous hurt caused by one of them.
489-A	Counterfeiting currency notes or bank notes.